राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5250/2022

राजेन्द्र प्रसाद दायमा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, कार्मिक (क–3/शिकायत) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार सहकारिता सोसाइटी विभाग, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 10.10.2022
आदेश की दिनांक : 02.06.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री गौरव सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी ने अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुए यह अनुतोष चाहा है कि आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.07.2020 एवं 17.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल किए जाने के निर्देश दिए जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार है :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का अभिकथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में उप निदेशक (निलम्बनाधीन) के पद पर सहकारिता विभाग, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2020 जिसके द्वारा अपीलार्थी को निलम्बित किया गया है एवं आदेश दिनांक 17.12.2020 को चुनौती देते हुए अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत की।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने बहस के दौरान तर्क दिया है कि अपीलार्थी उप पंजीयक के पद पर सिरोही में कार्यरत था, उस दरम्यान अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई और अपीलार्थी को दिनांक 18.06.2020 को गिरफ्तार किया गया। उक्त आपराधिक मामले के आधार पर अपीलार्थी न्यायिक हिरासत के अधीन होने से उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसे निलम्बित कर दिया गया। अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ जोधपुर में एस.बी.सिविल रिट याचिका

संख्या 7467/2020 राजेन्द्र कुमार दायमा बनाम राज्य प्रस्तुत की गई, जिसके क्रम में अपीलार्थी की याचिका को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का आदेश देते हुए उसकी याचिका निस्तारित कर दी गई। अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 04.09.2020 को प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किया गया और प्रत्यर्थी विभाग ने दिनांक 17.12.2020 के द्वारा उसके अभ्यावेदन को खारिज कर दिया। उनका तर्क है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के द्वारा किसी भी कार्मिक को तीन माह से ज्यादा निलम्बित नहीं रखना चाहिए, परंतु अपीलार्थी को निलम्बित हुए दो वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध ए.सी.बी. के द्वारा आपराधिक मामला प्रस्तुत किया जा चुका है।

उनका यह भी कथन है कि अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो चार्जशीट दिनांक 30.11.2022 दी गई है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6105/2023 राजेन्द्र प्रसाद दायमा बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2023 के द्वारा स्थगित कर दी गई एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो ज्ञापन दिनांक 20.07.2021 अपीलार्थी के विरूद्ध दिया गया है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 439/2023 राजेन्द्र प्रसाद दायमा बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 23.01.2023 के द्वारा स्थगित कर दी गई। इस प्रकार अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति एवं चार्जशीट जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दी गई है, उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका है। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह भी कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 05.06.2006 में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज सेवक के विरूद्ध लम्बित अनुसंधान एवं फौजदारी प्रकरण में न्यायालय की कार्यवाही पर स्थगन प्रसारित होने की स्थिति में उस राज सेवक को निलंबन से बहाल कर दिया जावे। इस प्रकार की बहाली उक्त स्थगन आदेश के प्रभावी होने तक ही होगी और उसके निरस्त होते ही राज सेवक के पुनः निलंबन आदेश जारी किए जा सकेंगे।

अतः उक्त आधारों के आधार पर अपील स्वीकार आलोच्य निलंबन आदेश दिनांक 08.07.2020 एवं 17.12.2020 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को बहाल किए जाने के निर्देश दिए जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए बहस की है कि अपीलार्थी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा पंजीबद्ध अपराध संख्या 94/2020 में दण्डनीय अपराध के लिए लिप्त पाए जाने पर

दिनांक 18.06.2020 को रंगे हाथों गिरफ्तार किए जाने के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा आदेश दिनांक 08.07.2020 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 18.06.2020 से निलंबित माने जाने के आदेश प्रदान किए गए। अपीलार्थी द्वारा यह अपील लगभग दो वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है जबकि आक्षेपित आदेश की दिनांक से 6 महिने का समय होता है। इस प्रकार परिसीमाकाल के आधार पर खारिज फरमाए जाने योग्य है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन उप पंजीयक (निलंबनाधीन) के पद पर सिरोही में कार्यरत है, अपीलार्थी के विरूद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई और अपीलार्थी को दिनांक 18.06.2020 को गिरफ्तार किया गया और उसे राजस्थान सिविल सेवा नियम, 1958 के नियम 13 के अंतर्गत आलोच्य आदेश दिनांक 08.07.2020 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसे निलम्बित कर दिया गया। कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 31.07.2018 के द्वारा किसी भी कार्मिक को तीन माह से ज्यादा निलम्बित नहीं रखना चाहिए, परंतु अपीलार्थी को निलम्बित हुए दो वर्ष से भी अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। अपीलार्थी के विरूद्ध प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो चार्जशीट दिनांक 30.11.2022 दी गई है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6105/2023 राजेन्द्र प्रसाद दायमा बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 05.05.2023 के द्वारा स्थगित कर दी गई एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जो ज्ञापन दिनांक 20.07.2021 अपीलार्थी के विरूद्ध दिया गया है, उसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 439/2023 राजेन्द्र प्रसाद दायमा बनाम राज्य व अन्य में अंतरिम आदेश दिनांक 23.01.2023 के द्वारा स्थगित कर दिया गया। अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोजन स्वीकृति एवं चार्जशीट जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दी गई है, उन्हें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका है। राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 22.03.2023 में यह उल्लेखित किया गया है कि *''किसी लोक सेवक को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया जाता है अथवा भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य मामले में 48 घण्टों से अधिक समय तक पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा में रखा जाता है तो संबंधित लोक सेवक को तत्काल निलंबित किया जावे। लोक सेवकों के ऐसे प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति जारी होने*

तथा सक्षम न्यायालय में चालान पेश होने की स्थिति में उनके प्रकरण निलंबन से बहाली हेतु गठित पुनरावलोकन समिति के समक्ष विचारार्थ रखे जाएंगे।''

उपरोक्त विवेचन के आधार पर राज्य सरकार के परिपत्रों तथा न्यायिक दृष्टांतों को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी अपने मामले के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम स्तर पर अभ्यावेदन प्रस्तुत करे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी के मामले में गंभीर विचार कर नियमानुसार उचित निर्णय लें और अपीलार्थी को सूचित करें।

अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अंतिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य